

पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(भारत सरकार का उधम)

पूर्वी क्षेत्र पारेषण प्रणाली-1, मुख्यालय,

बिहार राज्य ईलेक्ट्रीसीटी बोर्ड कोलोनी,

टी. आर. डब्लू सेंटर के नजदीक, पोस्ट+थाना-शास्त्रीनगर

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, पटना-८०००२३

स्पीड-पोस्ट

संदर्भ: PGCIL/ER-I/RTI-203/2019-20/

1521

दिनांक: 21.05.2019

सेवा में,

मे. चिंकी कंस्ट्रक्शन,

श्याम सावित्री इंकलैब, वीर कुअँर सिंह पथ,

रोड न.13 के सामने, मेन रोड, राजीव नगर,

पटना-800024. (बिहार)


विषय: सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत मांगी गयी जानकारी के सम्बन्ध में।

महाशय,

आपके द्वारा दिनांक-14.05.2019 को आर.टी.आई. अधिनियम -2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त हेतु आवेदन अग्रसारित किया है। जो पू.क्षे.1, पावरग्रिड मुख्यालय, आर.टी.आई. विभाग, पटना को दिनांक-20.05.2019 को प्राप्त हुआ है। जिसकी मूल प्रति आवेदन के साथ आई.पी.ओ. न. 74 सी. 737664 & 737663-Rs.5+5 रु.10/- मात्र, इस पत्र के साथ संलग्न कर "The RTI Act-2005 Section-(3)" के आलोक के आधार पर आपको वापस किया जा रहा है।

सधन्यवाद,

भवदीय,


(एम.के.अग्रवाल)

वरि.महाप्रबंधक(वाणिज्यिक) एवं
केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी

संलग्न:1.मूल आवेदन,

2. आई.पी.ओ. न.74 सी.737664 & 737663-Rs.5+5 रु.10/- मात्र ।

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

१.कार्यपालक निदेशक, पू.क्षे.1,पावरग्रिड, पटना ।

२.महाप्रबंधक(वित्त),पू.क्षे.1,पावरग्रिड, पटना, कृपया उक्त पत्र पर ध्यान दें ।

३.मुख्य प्रबंधक(सतर्कता),पू.क्षे.1, पावरग्रिड, पटना ।

सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रपत्र

प्रपत्र 'क' (नियम 3 (1) देखें) आई० डी० सं० (कार्यालय प्रयोग के लिए)

सेवा में,

लोक सूचना पदाधिकारी
(विभाग/कार्यालय)

पावरग्रीड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि०

विद्युत बोर्ड कालनी, राजीवगा, पटना - 800022

1. आवेदक का नाम मि० प्रेम कृष्ण शर्मा
2. पूरा पता श्याम कृष्णी इन्कलेव, रोड नं०-13 डे वामने, मेन रोड, राजीवगा, पटना - 800024 (बिहार)
3. मांगी गई सूचना का ब्यौरा (संक्षेप में)

मेरे द्वारा दिये गये आवेदन दिनांक 12/03/2018, राजीवगा (एफ एण्ड ए.) पावरग्रीड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि., तृतीय क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र-1 विद्युत बोर्ड कालनी, राजीवगा पटना के नाम से 1-7-2017 से पुराने काले पा फटा लागू नहीं होने के सम्बन्ध में दिये गये आवेदन पर क्या कार्रवाई किया गया।

4. मैं एतद् द्वारा घोषित करता/करती हूँ कि मेरी पूरी जानकारी में मांगी गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 एवं 9 के अंतर्गत मुक्त नहीं है। यह आपके विभाग/कार्यालय से संबंधित है।

5. (1) मैंने 10/- रुपये (शब्दों में) दस तिथि 28/04/2018 को रसीद सं० 74C 737664

रसिद सं० 74C 737663

आर्य समाज पोस्टल ऑर्डर, डाक विभाग से विभाग कार्यालय में भुगतान किया है।

(2) मैं डिमांड ड्राफ्ट/भुगतानादेश सं० दिनांक

जो पदाधिकारी के पक्ष में बैंक द्वारा जारी की गयी है, फीस के रूप में संलग्न करता हूँ।

(3) मैंने रुपये का नन जुडिशियल स्टाम्प इस आवेदन में लगा दिया (संबद्ध कर दिया) है।

(4) मैं गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार का हूँ। मेरे कार्ड/वांछित सर्टिफिकेट की छाया प्रति संलग्न है।
आवेदक के पत्राचार का पूरा पता :

Ranjay Kumar Ah
आवेदक का हस्ताक्षर

ई-मेल पता, अगर कोई हो;

दूरभाष संख्या

स्थान : Patna तिथि : 14/05/2019

नोट :- गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार को कोई फीस देय नहीं है।
जो लागू नहीं है उसे काट दें।

9334114667

9334114467



CHINKI CONSTRUCTION PVT. LTD.

Regd. Office : Shyam Savitri Enclave (Shyam Utsav Hall),
Veer Kunwar Singh Path, Rajeev Nagar, Patna - 800 024.

Corporate Identity Number : U 45200BR 2006 PTC 012467 2006-2007

Govt. Contractor, Supplier, Road, Building, Lining, Structures and Earth Works Specialist

Date: 12/03/2018

Letter No. :

Power Grid Corporation of India Ltd.
1st Floor, Eastern Region-1
Indyut Board Colony, Shastri Nagar
Patna.

Sub:- Reminder-1 regarding Implementation of GST on old packages closed before 01.07.2017.

Dear Sir

With reference to above subject we would like to draw your kind attention the agreement made between Powergrid and contractor. As per our agreement we had to pay the govt. taxes in the following manner:-

1. Sales Tax:- 5%
2. Service Tax:- 5%
3. I. Tax:- 2%
4. Labour Cess:- 1%

As per your letter dated: 05.10.17 our package for "Construction of 1st and 2nd Block of B1 & B3 Type Qtr. was closed on 25.09.2015. But due to late process of final bill by site in charge we got our payment after implementation of G.S.T i.e. after 01.07.2017. You deducted GST at 18% on gross amount. You also added 18% GST on our L.D. while all taxes should be deducted as per our agreement.

Further we want to inform you that as per letter No. Sales-Tax/Misc.-84/2017/2594 dated: 25/07/17 issued by Sales Tax Commissioner cum Chief Secretary, Bihar, Patna regarding deduction of Sales Tax at source for the work fully or partially closed before 01.07.2017 i.e. before implementation of GST; the Tax should be deducted as per previous provision.

We are in great deficit due to your wrong decision. Why we should suffer due to your late payment of final bill as well as late issue of final time extension? This is also a breach of contract. Please rectify your decision so that we could get our genuine payment.

Further we have to say that this has happened to our many packages which were not mentioned in this application. We are enclosing the letter issued by Sales Tax Commissioner for your reference.

Thanking You!

Copy to:-

1. E.D. (ER-1)
2. D.G.M (C&M)
3. Asst. G.M. (Gaya S/S)

Yours faithfully

Ranjay Kumar Singh
Director
Chinki Construction Pvt. Ltd.



बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग

पत्रांक - बिक्री-कर/विविध-84/2017 2594

पटना, दिनांक- 25/7/17

प्रेषक,

सुजाता चतुर्वेदी,
वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव,
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग,
लघु जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग,
ग्रामीण विकास विभाग, जल संसाधन विभाग, ऊर्जा विभाग,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

विषय:- दिनांक 30.06.2017 तक अंशतः/पूर्णतः निष्पादित कार्य संविदा हेतु
01.07.2017 या उसके बाद किये जानेवाले भुगतान के लिए श्रोत पर कटौती
के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में आप अवगत हैं कि राज्य में बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 दिनांक 30.06.2017 की अवधि तक प्रवृत्त था। दिनांक 01.07.2017 से माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 लागू हो गया है। दिनांक 30.06.2017 तक आंशिक या पूर्ण निष्पादित/संपन्न कार्य संविदा से संबंधित दिनांक 01.07.2017 या उसके बाद भुगतान किये जाने की स्थिति में बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 एवं केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की प्रयोज्यता (Applicability) एवं इसके अन्तर्गत श्रोत पर कर की कटौती के विन्दु पर स्पष्टीकरण (Clarification) की माँग कई व्यक्तियों/कार्यालयों द्वारा की जा रही है। इस मामले की विस्तृत समीक्षा की गयी। इस संबंध में स्थिति निम्नवत् स्पष्ट की जा रही है-

1. दिनांक 30.06.2017 तक निष्पादित कार्य संविदा जिसका भुगतान दिनांक 01.07.2017 या उसके बाद किया जा रहा हो -

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा-2(ZC)(ii) के अनुसार विक्रय से नगद भुगतान या आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए माल में संपत्ति का हस्तान्तरण अभिप्रेत है जिसमें कार्य संविदा के निष्पादन में संपत्ति का हस्तान्तरण (चाहे माल के रूप में या अन्य रूप में) सम्मिलित है। उक्त अधिनियम की धारा-41 के अधीन मालों के अन्तरण के विरुद्ध भुगतान किये जाने के समय श्रोत पर विहित दर से कर की कटौती करने का प्रावधान है। अगर कार्य संविदा के मद में मालों का अन्तरण दिनांक 01.07.2017 के पूर्व निष्पादित कार्य संविदा या उसके निष्पादित किसी भाग के लिए किया गया हो एवं दिनांक 01.07.2017 या उसके बाद भुगतान किया जा रहा हो तो बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत पूर्व की भाँति विहित दर से श्रोत पर कटौती किया जाना विधिमान्य है।

2. दिनांक 01.07.2017 या उसके बाद निष्पादित कार्य संविदा के संबंध में

बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017/केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-51 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रत्येक विभाग या केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार की स्थापना या स्थानीय प्राधिकरण या सरकारी एजेंसियों या व्यक्तियों की श्रेणी जिसे परिषद् की सिफारिशों द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है, को कर-योग्य मालों या सेवाओं या दोनों की स्थिति में, जहाँ संविदा के अन्तर्गत आपूर्ति का कुल मूल्य दो लाख पचास हजार रुपया से अधिक हो, आपूर्तिकर्ता को किये गये भुगतान से एक प्रतिशत CGST तथा एक प्रतिशत SGST की कटौती किये जाने का प्रावधान है।

सम्प्रति बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017/केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-51 जो TDS से संबंधित है, को कुछ समय के लिए स्थगित रखा गया है और इसे लागू किए जाने की तिथि निकट भविष्य में अधिसूचित की जाएगी। तत्पश्चात् GST के अन्तर्गत भी TDS की कटौती आरंभ हो जाएगी।

अतः अनुरोध है कि अपने अधिनस्थ सभी संबंधित कार्यालयों को उपरोक्त व्याख्या सूचित करते हुए इसका अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

[Handwritten Signature]

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव,
बिहार, पटना।

ज्ञापक :- बिक्री-कर/विविध-84/2017 2594 पटना, दिनांक - 25/7/17
प्रतिलिपि:- सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

[Handwritten Signature]

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव,
बिहार, पटना।

ज्ञापक :- बिक्री-कर/विविध-84/2017 2594 पटना, दिनांक- 25/7/17
प्रतिलिपि:- सभी संयुक्त आयुक्त (प्र०)/सभी अंचल प्रणारी, वाणिज्य-कर विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

[Handwritten Signature]

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव,
बिहार, पटना।



CHINKI CONSTRUCTION PVT. LTD.

Regd. Office : Shyam Savitri Enclave (Shyam Utsav Hall),
Veer Kunwar Singh Path, Rajeev Nagar, Patna - 800 024
Corporate Identity Number : U 45200BR 2006 PTC 012467 2006-2007

Govt. Contractor, Supplier, Road, Building, Lining, Structures and Earth Works Specialist

Letter No. :

Date : 22/01/2018

To
The D.G.M. (F&A)
Power Grid Corporation of India Ltd.
3rd Floor, Eastern Region-1
Vidyut Board Colony, Shastri Nagar
Patna.

Sub: Regarding Implementation of GST on old packages closed before 01.07.2017.

Dear Sir

Refer to above subject we would like to draw your kind attention the agreement made between Powergrid and contractor. As per our agreement we had to pay the govt. taxes in the following manner:-

1. Sales Tax:- 5%
2. Service Tax:- 5%
3. I. Tax:- 2%
4. Labour Cess:- 1%

As per your letter dated: 05.10.17 our package for "Construction of 1st and 2nd Block of B1 & B3 Type Qtr. was closed on 12.09.2015. But due to late process of final bill by site in charge we got our payment after implementation of G.S.T i.e. after 01.07.2017. You deducted GST at 18% on gross amount. You also added 18% GST on our L.D. while all taxes should be deducted as per our agreement.

We are in great deficit due to your wrong decision. Why we should suffer due to your late payment of final bill as well as late issue of final time extension? This is also a breach of contract. Please rectify your decision so that we could get our genuine payment.

Further we want to inform you that this has happened to our many packages which were not mentioned in this application.

Thanking You!

Copy to:-


1. E.D. (ER-1)
2. D.G.M (C&M)
3. Asst. G.M. (Gaya S/S)

Yours faithfully


Chinki Construction Private Limited

Rajay Kumar Singh
Managing Director

Director
Chinki Construction Pvt. Ltd.



To,
Powergrid Corporation of India Ltd.
Vidyt Board Colony
Shashtri Nagar
Patna - 800022. (Bihar)



From
Chintki Construction Pvt Ltd
Shyam Saritri Enclave
OPP. Road NO.-13
Hain Road, RajivNagar
Patna - 800024. (Bihar)



for PS
Katerwared to Agents
under RTI rule 3
Copy also Gm (BKA)
for reply to Agents